

न्यायालय राज्य मण्डल म. प्र. गवालियर  
पु. कृ.

R 3969-I-16

1. श्रीमती गुहडा देवी पत्नी स्व. नारायणा

श्रीवास ,

2. अमित पु. एव. नारायणा श्रीवास

निवासिणा वाटर वर्क्स रोड माता मंदिर

वाली गली के सामने बांड कृ. 3, भिंड म.प्र. — अवैदकगण।

बनाम

1. रामसनेही श्रावात पुत्र रामचरन श्रीवास

श्रीमती साक्षी पत्नी रामसनेही श्रीवास

निवासिणा वाटर वर्क्स रोड माता मंदिर

के सामने वाली गली बांड कृ. 3 भिंड म.प्र.

3. दीपू उर्फ उरुण्ठै गुरशारणा श्रीवास पुत्र  
रामसनेही श्रीवास निवासी वाटर वर्क्स रोड  
माता मंदिर के सामने वाली गली बांड कृ. 3  
भिंड म.प्र. — अवैदकगण।

निगरानी अन्तर्गत द्वारा 50 व नयेसाठोदान अधि. 201। म.प्रभु. रा.

स. 1959 विल्द अदेश दिनांक 10.11.16 द्वारा पारित जहसीलदार



पर. व जिला भिंड पु. कृ. कृ. /राइडर/2016 सं 380/15-16 बी। 2।

अमित विल्द रामसनेही के आदेश से हुछां दोकर।

श्रीमान जी ,

अवैदकगण का निवेदन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3969-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-१२-१४	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २६-२-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">३</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	